राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Help Line 9928900900)
Email: rj-slsa@nic.in, Website: https://rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांक :–एफ–7(36)रालसा / संस्था / विविध पत्रा. / 2026 / 645 दिनांक:08.09.2026

कार्यालय आदेश

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22–बी के अधीन जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालय, पाली पर स्थापित स्थायी लोक अदालत के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्त श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता (सेवानिवृत जिला न्यायाधीश) का कार्यकाल दिनांक 09.09.2026 को पूर्ण हो रहा है। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नवीन पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को स्थायी लोक अदालत, पाली के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त कार्य (As a Part time Chairperson) करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष का कार्य करने पर नियमानुसार मानदेय देय होगा।

श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता, अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, पाली को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त पद का कार्यभार नियमानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को सौंपकर भारमुक्त होवें एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को निर्देशित किया जाता है कि अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, पाली के पद का कार्यभार ग्रहण कर इस प्राधिकरण को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) की अधिसूचना दिनांक 15.05.2025 में स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्ते) संशोधन नियम 2025 जिसका भारत के राजपत्र दिनांक 15.05.2025 में प्रकाशन हुआ है के नियम–3 के अनुसार स्थाई लोक अदालत की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जायेगी और एक सौ तक लंबित मामलों वाली स्थाई लोक अदालत सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी तथा एक सौ से अधिक लंबित मामलो वाली स्थाई लोक अदालत सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी।

आज्ञा से,

–sd–

सदस्य सचिव,
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

क्रमांक :–एफ–7(36)रालसा / संस्था / विविध पत्रा. / 2026 / 30459 – 30462 दिनांक:08.09.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
4. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, सदस्य सचिव, रालसा, जयपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली ।
7. अध्यक्ष / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली ।
8. अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, पाली ।
9. सदस्य, स्थायी लोक अदालत, पाली ।
10. निदेशक / विशेष सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव–प्रथम / द्वितीय, रालसा,जयपुर।
11. संबंधित कोषाधिकारी, कोष कार्यालय।
12. नोडल ऑफिसर, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
13. आदेश / संबंधित / रक्षित पत्रावली।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर

E:\Establishment Section\Permanent Lok Adalat\PLA Order.docx